

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 85 / 2023

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

-प्रार्थी

-:बनाम:-

अप्रार्थी:-1

शिवकुमार पुत्र जगदीश (विक्रेता)

मैसर्स:-अग्रकुल किरयाना एवं वैरायटी स्टोर, मैन बस स्टैण्ड,
जिला हनुमानगढ़।

निवासी:-वार्ड नं. 04, विश्व भारती स्कूल के पास, पक्कासारणा, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी:-2

मैसर्स:-गीता इण्डस्ट्रीज, जी-1-112 सी, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर।
(निर्माता एवं वितरक)

-अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री करणी सिंह शेखावत, अभिभाषक अप्रार्थी-1।

-:निर्णय:-

दिनांक :-22.08.2025

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 21.01.2023 को समय दोपहर 12.40 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण वास्ते मैसर्स अग्रकुल किरयाना एवं वैरायटी स्टोर, मैन बस स्टैण्ड, पक्कासारणा, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर शिवकुमार पुत्र जगदीश (विक्रेता) निवासी-वार्ड नं. 04, विश्व भारती स्कूल के पास, पक्कासारणा, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते अलमारी में लगभग 10 पैकेट Dhania Powder (Gopika Brand) रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर 04 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Dhania Powder (Gopika Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Dhania Powder (Gopika Brand) के खरीद मूल का 360/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Dhania Powder (Gopika Brand) 04 पैकेट X 500 ग्राम वजनी पर चार लेबल तैयार कर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर कर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सील्ड पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटा किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके-2378 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-2378 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 78 दिनांक 02.02.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच

Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/2480-81 दिनांक 07.02.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Misbranded खाद्य पदार्थ Dhania Powder (Gopika Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Dhania Powder (Gopika Brand) विक्रेता एवं मालिक तथा निर्माता एवं वितरक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी-1 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त नमूने को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा मात्र मिसब्रान्डेड फूड घोषित किया गया है। नमूने में मुताबिक जांच रिपोर्ट ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई है। जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। उक्त पदार्थ में मुताबिक लैब रिपोर्ट केवल लैबलिंग संबंधी कमी पाई गई है। अप्रार्थी निर्माता नहीं है बल्कि लघु व्यापारी है। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 (2) (2) का उल्लंघन नहीं किया है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही झाप किये जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थी-2 की ओर से मैनेजर मै0 गीता इण्डस्ट्रीज, उद्योग विहार, रीको, श्रीगंगानगर ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जबाव को ही बहस बताया गया एवं निवेदन किया कि भूलवंश तारीक प्रिंट होना रह गया होगा। कृप्या करके मुझे इस बार माफ किया जावे भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Dhania Powder (Gopika Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Misbranded Dhania Powder (Gopika Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी-1 पर 20,000/- (अखरे रूपये बीस हजार मात्र), अप्रार्थी-2 पर 50,000/- (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 70,000/- (अखरे रूपये सतर हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़